भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या–02/2018–19

केश का प्रकार :– नामान्तरण अपील

मानसुर बैग, पिता–फरमुद बैग .... अपीलकर्त्ता

–बनाम–

(1) झारखण्ड राज्य सरकार (अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़) तथा

(2) रब नवाब हैदर, पिता–अब्दुल सत्तार हुसैन .... विपक्षी

क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
14·08·18	यह नामान्तरण अपील वाद अपीलकर्त्ता मानसुर बैग, पिता–फरमुद बैग, पता–पठानटोली, थाना–सिकन्दर, जिला–जमुई, बिहार, वत्तमान पता–कोकपाड़ा नरसिंहगढ़, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखण्ड ने झारखण्ड राज्य सरकार (अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़) एवं नब नवाब हैदर, पिता–अब्दुल सत्तार हुसैन, ग्राम–कोकपाड़ा नरसिंहगढ़ थाना–धालभूमगढ़, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को पक्षकर बनाकर अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–75 R 27/2017–18/धालभूमगढ़ में दिनांक–01/11/2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया हैं। उक्त के आलोक में उभय पक्ष को सूचना जारी किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध हैं। अपीलकर्त्ता द्वारा दायर अपील आवेदन पत्र पर सुनवाई हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। निम्न न्यायालय का ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–75 R 27/2017–18/धालभूमगढ़ प्राप्त हैं। अपीलकर्त्ता की ओर से आवेदन पत्र के साथ ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–75 R 27/2017–18/धालभूमगढ़ की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति दाखिल किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अपने अपील आवेदन द्वारा बताया गया हैं कि मौजा–कोकपाड़ा नरसिंहगढ़, थाना नं0–173, खाता नं0–166, प्लॉट नं0–548/786, रकवा–0.96 डिसमील भूमि का नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ में आवेदन किया था, जिसे अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ ने अपने	

M

आदेश दिनांक– 01/11/2017 द्वारा मौजा–कोकपाड़ा नरसिंहगढ़, थाना नं0–173, खाता नं0–166, प्लॉट नं0–548/786, रकवा–96 डिसमील भूमि का गलती से नामान्तरण स्वीकृत किया गया हैं जबकि प्रश्नगत भूमि का सही रकवा–0.96 डिसमल है।

द्वितीय पक्ष की और से दिनांक– 12/07/2018 को कारण–पृच्छा दाखिल किया गया हैं। उनका कथन है कि विपक्षी की ओर से अपीलकर्त्ता को मौजा–कोकपाड़ा नरसिंहगढ़, थाना नं0–173, खाता नं0–166, प्लॉट नं0–548/786, रकवा–0.96 डिसमील भूमि बिक्री केवाला संख्या–455, दिनांक–03/05/2017 के माध्यम से जमीन बेचा गया हैं। परन्तु गलती से अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़, ने अंचल निरीक्षक एवं हल्का कर्मचारी के गलत प्रतिवेदन के आधार पर भूमि का रकवा–96 डिसमल जमीन का अपीलकर्त्ता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया गया है। नामान्तरण शुद्वि पत्र में रकवा संशोधन करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ का ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–75 R 27/2017–18/धालभूमगढ़ एवं संलग्न बिक्री केवाला का अवलोकन किया। अवलोकन के पश्चात अपीलकर्त्ता के आवेदन पत्र को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ को आदेश दिया जाता है कि रकवा–96 डिसमल के स्थान पर 0.96 डिसमल संशोधन करते हुए नामान्तरण शुद्धि पत्र निर्गत किया जाय। तदनुसार मुल अभिलेख अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ को वापस भेजें।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक–14/08/2018 को पारित किया जा रहा हैं।

लेखापित एवं संशोधित

14/8/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

14.8.2018

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।